

पतंग उड़ाएं, पर मैटेलिक मांझे का प्रयोग न करें

बीएसईएस की ऑपरेशन टीमें हाईअलर्ट पर

- 33/66 केवी लाइन ट्रिप होती है, तो करीब 10,000 लोगों की बिजली ठप होगी
- 11 केवी लाइन ट्रिप होती है, तो लगभग 2500 लोगों की बिजली प्रभावित होगी

नई दिल्ली: 10 अगस्त, 2011 | स्वतंत्रता दिवस के दिन बड़े पैमाने पर होने वाली पतंगबाजी के मद्देनजर, बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने अपनी ऑपरेशंस व मेंटेनेंस टीमों को हाईअलर्ट पर रखा है। टीमों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं से पतंगबाजी की वजह से ट्रिपिंग की खबर आती है, तो इलाके में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था सुचारू की जाए।

इन दिनों बड़े पैमाने पर पतंगबाजी हो रही है। और, 15 अगस्त के दिन तो दिल्ली का पूरा आसमान ही पतंगों से पटा नजर आने वाला है। हर साल पतंगबाजी की वजह से बड़े पैमाने पर बिजली की लाइनों व उपकरणों को नुकसान पहुंचता है। कभी-कभी तो इससे पतंग उड़ाने वाले की मौत भी हो जाती है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए बीएसईएस ने एकबार फिर पतंगबाजी के शौकीनों से अपील की है कि वे पतंग तो उड़ाएं, लेकिन संभलकर। बीएसईएस के मुताबिक, इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप पतंगबाजी के लिए जिस मांझे का उपयोग कर रहे हैं, कहीं वह मैटेलिक तो नहीं! यानी, मांझे को तैयार करते वक्त कहीं धातु का प्रयोग तो नहीं किया गया है। यदि हाँ, तो न सिर्फ इससे कई इलाकों में बिजली गुल होने का खतरा है, बल्कि आपकी जान के लिए भी यह खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल, जब धातुयुक्त मांझा बिजली की तारों व अन्य उपकरणों के संपर्क में आता है, तो बड़े पैमाने पर ट्रिपिंग होती है और कई इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं।

एक अध्ययन के मुताबक, यदि पतंगबाजी की वजह से कोई 33/66 केवी लाइन ट्रिप होती है, तो करीब 10,000 लोगों की बिजली ठप हो जाएगी। यदि 11 केवी लाइन ट्रिप होती है, तो लगभग 2500 लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी।

वैसे, पतंगबाजी और मैटेलिक मांझा आदि के बारे में बीआरपीएल और बीवाईपीएल आरडब्ल्यूए और अन्य नागरिक संगठनों को जागरूक करती रही है। साथ ही उपभोक्ताओं से यह अपील भी की गई है कि वे अपने बच्चों को इस बारे में बताएं और कहें कि कटी हुई पतंग लेने के लिए बिजली उपकरणों के पास या प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं और, 5–10 रुपये की पतंग के लिए अपनी जान को जोखिम में न डालें।

आपकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी होगा कि बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना और बिजली के उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानून के मुताबिक दंडनीय अपराध है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत सजा का भी प्रावधान है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ¹
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस— 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस— 39999415 / 9350130304